पर्यावरण और वन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री का भाषण
18 अगस्त 2009

राज्यों के पर्यावरण और वन मंत्रियों के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है और मुझे खुशी है कि मुझे विशिष्ट प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है जो हमारे देश के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श करने जा रहे हैं।

देश को पर्यावरण के अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ रहा है, जिनसे कई तरह की चिन्ताजनक स्थितियां पैदा हो गयी हैं। जलवायु परिवर्तन हमारी नाजुक पारिस्थितिकी के प्रति खतरा बन गया है। इसी वजह से आज हम आसन्न सूखे की आशंका से ग्रस्त हैं। पानी की कमी जीवन का हिस्सा बन गई है। बढ़ता प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावासों के लिए खतरा बन गया है।

इसलिए आपके समक्ष विचारणीय विषयों की व्यापक सूची है और वे सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरा विचार है कि प्रथम कार्य न केवल लोगों को उस संकट के बारे में शिक्षित करना है जिसका सामना हम कर रहे हैं बल्कि उन्हें इस बात के लिए प्रेरित भी करना है कि इस संकट के समाधान का दायित्व हम सभी का है, हमें अपनी जीवन शैलियों में मूलभूत विकल्प अपनाने होंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उत्पादन और खपत में कौन सी चीजें अपनानी हैं और किन चीजों को नहीं करना है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आज मानव मात्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती प्रकृति और मानव के बीच नया संतुलन कायम करने की है।

हमारे समक्ष ऐसी चुनौतियां नहीं हैं जिन पर नियंत्रण न किया जा सके। प्रकृति की उदारता हमें वरदान के रूप में मिली है किन्तु एक जन समुदाय के रूप में हम अपने पर्यावरण के प्रति गहरी सांस्कृतिक संवेदना भी रखते हैं। वास्तव में श्रीमती इंदिरा गांधी की परिकल्पना और उनके प्रकृति प्रेम का ही यह नतीजा था कि भारत सरकार में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गयी। उन्होंने 1972 में बाघ परियोजना प्रारंभ की और वे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तथा वन संरक्षण अधिनियम जैसे कानून बनाने में सक्रिय रहीं। ये ऐतिहासिक उपाय अपने समय से पहले किए गए थे। प्राकृतिक विरासत के प्रति उनकी दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता और सरोकार को अपनाकर ही आज हम उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जो हमारे पर्यावरण के समक्ष उत्पन्न हुई हैं।

जलवायु परिवर्तन आज प्रमुख वैश्विक चुनौती है। विश्व इसके प्रति गंभीर रूप से चिंतित है। यही चिंता हमारी भी है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम न केवल इस मुद्दे का महत्व अपने देश के भविष्य के संदर्भ में समझते हैं बल्कि इसके समाधान के अपने दायित्व से भी वाकिफ हैं। हम वर्तमान और भावी दोनों ही पीढ़ियों के लिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं और अपने विकास के मार्ग में पारिस्थितिकी स्थिरता बढ़ाना चाहते हैं।

मैं आपसे अपील करता हूं कि आप आठ राष्ट्रीय अभियानों और अन्य उपायों को सफल बनाने में सहयोग करें, जो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हमारी राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रमुख घटक हैं। मैं प्रत्येक राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे स्वयं की राज्य स्तरीय कार्य योजनाएं तैयार करें जो राष्ट्रीय योजनाओं में अपनाई गयी कार्य नीतियों के अनुरूप हों। हमें इस मुद्दे पर राज्यों के साथ अधिक व्यापक विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यही इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण विषय होगा।

हमारे देश में मौजूदा वन और वन्य जीव प्रबंधन को आधुनिक बनाने की परम आवश्यकता है। स्पष्ट है कि इसके लिए हमें अपने वन विभागों को आधुनिक बनाना होगा। इसके लिए परिष्कृत संसाधन, संचार और कार्मिकों के उन्नत प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। मैं इस मुद्दे के प्रति चिंतित हूं कि कई राज्यों में वन और वन्य जीव क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रथम पंक्ति के कार्मिकों के पद खाली पड़े हैं। मैं सम्बद्ध राज्यों के माननीय मंत्रियों से अपील करता हूं कि वे प्राथमिकता के आधार पर इस मुद्दे का समाधान करें।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता का है कि हमारे संरक्षण कार्यक्रमों से स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचे ताकि वे संरक्षण के प्रयासों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभायें। हमारे जनजातीय समुदाय पर्यावरण की रक्षा करने वाले सिपाही हैं। उन्होंने हमारे वनों की रक्षा की है और सदियों से प्रकृति के साथ सद्भावपूर्वक रहने का अत्याधुनिक तरीका विकसित किया है। हमारे वनों की हिफाजत के लिए उनके विवेक और उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाना चाहिए न कि उन्हें पर्यावरण का अनाथ बना दिया जाना चाहिए। आदिवासी अधिकार अधिनियम वनवासियों के जायज अधिकारों की गारंटी देने और उन्हें वनों को फिर से आबाद करने के लिए पर्यावरण आंदोलन के अग्रणी मोर्चे पर लाने का एक अवसर है।

हरित भारत अभियान एक बड़ी पहल है जिसके बहुत से अन्य लाभ मिलेंगे। हमें राज्य स्तरीय प्राधिकरणों की स्थापना करके प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण को तेजी से संचालनीय बनाना होगा। मुझे खुशी है कि श्री जयराम ने इस विभाग में एक नए प्रयोजन व गंभीरता की भावना जगाई है और जो उन्होंने हमें प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण खाते से राज्यों को निधियों के अंतरण की बात बताई है तो वह केन्द्र तथा राज्यों के बीच भविष्य में होने वाले अधिकाधिक सहयोग, मदद का ही अग्रणी नमूना है। इसलिए मैं श्री जयराम को उनकी इस पहल के लिए मुबारकबाद देता हूँ।

हमारे देश को शक्तिशाली नदियां वरदान में मिली हैं जो, हमारे इतिहास, हमारे धार्मिक विश्वासों, हमारी संस्कृति और हमारी जनता के रीति रिवाजों के साथ निरंतर जुड़ी रही हैं। इसलिए हमारे लिए यह बड़ी चिंता का विषय है कि हम इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक विरासत का प्रदूषण रोक पाने में सफल नहीं हुए हैं।

हमने एक अन्य तरह का और अधिकाधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है, जिसमें हमने शहर की बजाए नदी को योजना की यूनिट बनाया है। इस दृष्टिकोण का सार यह है कि इसमें न केवल नदी प्रदूषण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा बल्कि नदी जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, बाढ़ संभावित मैदानी क्षेत्रों के संरक्षण पर और गहनता से ध्यान दिया जाएगा ताकि पारिस्थितिकीय प्रवाह और नदी पारिस्थितिकी की बहाली सुनिश्चित की जा सके।

हमने राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण (एनजीआरबीए) की स्थापना की है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक अधिकार प्राप्त निकाय है। हमें उम्मीद है कि इसके कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर देश में अन्य प्रमुख नदियों के लिए भी यह मॉडल अपनाया जायेगा। इस वर्ष के बजट में गंगा नदी के लिए 250 करोड़ रुपये के विशेष प्रावधान सहित हमने संरक्षण कार्यक्रम के लिए आबंटन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों में समाभिरूपता लाने के लिए सभी राज्यों द्वारा संस्थागत ढांचा कायम किया जाये। राज्यों को विशेष प्रयोजन वाहनों जैसे नए मॉडलों के जरिये नदी स्वच्छता के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के तरीके खोजने चाहिए। मैं राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वे गैर उपचारित औद्योगिक उत्सर्जकों का उत्सर्जन कम करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से कानूनी प्रावधानों को प्रभावकारी ढंग से लागू करें। यह हमारी नदी प्रणालियों के कुल प्रदूषण में 25% का योगदान करता है।

तटवर्ती क्षेत्रों में पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से हम सभी परिचित हैं। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 2008 में जारी तटीय प्रबंधन जोन (सीएमजेड) अधिसूचना की पूरी तरह समीक्षा की है। मैं समझता हूं कि उनकी रिपोर्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के तटवर्ती क्षेत्र के प्रबंधन में समन्वित दृष्टिकोण अपनाये जाने का सुझाव दिया गया है। मेरा सुझाव है कि द्वीप के अधिकारियों को केन्द्र के साथ घनिष्ठ सहयोग करना चाहिए ताकि एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।

मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरियां एक नए तरह का लाइसेंस राज और भ्रष्टाचार का स्रोत बन गयी है। यह ऐसा मामला है कि जिसका तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है। विकास और पर्यावरण के सरोकारों के बीच संतुलन स्थापित करते समय कुछ घट-बढ़ भी होगी ही। किन्तु, इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाये वह निष्पक्ष, पारदर्शी और बाधा मुक्त होनी चाहिए। इस बारे में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय अवश्य लिए जाने चाहिए।

मुझे बताया गया है कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टों में कुछ खामियां रही है। पर्यावरण सम्बन्धी अनिवार्य मंजूरी देने की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने का एक प्रमुख प्रयास सितम्बर 2006 में जारी पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना के जरिये किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में जो अनुभव हमने अर्जित किए हैं उनके प्रकाश में हम इस प्रणाली में और सुधार ला सकते हैं। जिन राज्यों ने अभी तक राज्य स्तरीय ईआईए प्राधिकरणों की स्थापना नहीं की है उनसे मेरी विनती है कि

वे अतिशीघ्र ही इन्हें तैयार करें। यदि हमें विश्वसनीय और प्रभावी मूल्यांकन तथा मंजूरी व्यवस्था तैयार करनी है तो पर्यावरण वन मंत्रालय तथा राज्यों के मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय बेहद जरूरी है।

संसद में हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण विधेयक पेश किया जाना एक अग्रणी रचनात्मक कदम है। इससे पर्यावरण सम्बन्धी अधिनिर्णय सुदृढ़ होंगे और विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। हमें क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों द्वारा समर्थित एक राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना पर विचार करना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती से निपटते समय हमें अतीत में की गयी गलतियों का अनुचित भार वहन करना पड़ता है। किन्तु विकास के इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। विकास की हमारी नीति मौलिक और भिन्न हो सकती है और होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से विशिष्ट होनी चाहिए। हम अभी भी उद्योगीकरण और शहरीकरण के प्रारंभिक चरणों में हैं। आने वाले दशकों में हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं में तेजी से बढ़ोतरी होगी। हमें एक अलग मार्ग अपनाना होगा जो पर्यावरण के अनुकूल हो।

इसके लिए हमें नयी प्रौद्योगिकियां हासिल करनी होगी जो विकसित देशों के पास आज उपलब्ध है। हमें पर्यावरण के अनुकूल नयी प्रौद्योगिकियों में स्वयं का धन भी निवेश करना होगा। हमें अपनी पर्यावरण नीतियों का वैज्ञानिक आधार मजबूत करने और आने वाली चुनौतियों से निपटने की अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण और वनों को फिर से हरा भरा बनाने के अभियान का नेतृत्व करने में हमें अधिक पक्षों, विशेषकर अपने युवाओं को अवश्य शामिल करना होगा।

मैं आप सभी से अपील करता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों के ह्रास की प्रक्रिया को पलटने के लिए नए मार्ग बनाने में अपने सामूहिक ज्ञान, बुद्धिमता और अनुभव का इस्तेमाल करें। प्रदूषण और संसाधनों के ह्रास से हमारी आर्थिक सुरक्षा और खुशहाली को खतरा पैदा हो गया है।

***